न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./99/2023/बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. भंवरलाल पुत्र जैसाराम 2. केशरसिंह पुत्र जैसाराम जातियान जाट निवासीयान नागाणा तहसील व जिला बाड़मेर	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व आवेदन संख्या 19/2019 बउनवान सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भवानीसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—21.04.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को पेश कर जाहिर किया कि ग्राम नागाना के खेत खसरा संख्या 552/339 रकबा 03.00 बीघा भूमि अवस्थित है। कि उक्त खातेदारी भूमि पर अपीलांट द्वारा बिना भूमि का रूपांतरण कराये 14X20 फीट भूमि में छपरा टीन शेड 20X20 में पक्का निर्माण कर ढाबे का संचालन किया जाकर कृषि को अकृषि व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इसलिए अपीलाधीन आराजी को खालसा करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है, जिसके विरूद्ध अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट पक्ष के वकील की आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश विधि के नियमों एवं साम्या सहित राजस्व रिकॉर्ड की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य कलमबद्ध नहीं करवाये गये। उत्तरदाता द्वारा दस्तावेजात प्रदर्शित नहीं करवाये गये। अपीलांटगण किसान व्यक्ति है जो अपनी खातेदारी भूमि पर लगातार काबिज रहकर खेती कर प्राप्त कृषि से आज दिन तक अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया। कैम्प कोर्ट में पत्रावली सुनवाई हेतु नियत करने बाबत अपीलांट को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनंवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांटगण द्वारा उक्त भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया गया और न ही धारा 177 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ....

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश अपीलांटस के हिस्से की सीमा तक निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण की अपीलांटस को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस द्वारा गैर कृषि कार्य किया गया जो दस्तावेजात से साबित है। अपीलांटस द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विस्तृत विवेचन पारित किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत होगा। अधिवक्ता अपीलांटस ने उक्त आवेदन पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुने बिना

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय पारित किया गया। अरसा 25 दिन पूर्व हल्का पटवारी द्वारा अपीलांटस को जानकारी दी की उनकी खातेदारी भूमि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा खालसा घोषित कर दी गई है। अपीलांटस द्वारा दिनांक 03.08.2023 को अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन पेश किया। जिस पर अपीलांट को दिनांक 11.08.2023 को आलोच्य निर्णय की नकल प्राप्त होने से अपील वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपीलांटस द्वारा अपील मियाद बाहर पेश करने का सदभाविक कारण भी नहीं बताया गया। अतः अपीलांटस की अपील को म्याद के बिंदु पर ही खारिज फरमाया जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयमपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर के आवेदन पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबावदावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में अपीलांटस की अनपुस्थिति में पारित किया गया। पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत करने बाबत अपीलांटस को कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। कैम्प कोर्ट में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना होता है जिसमें पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति कर राजीनामा करवाकर निर्णय कराया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य न तो कोई समझौता हुआ और न ही समझाईश करावाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की अनुपस्थिति में बिना तलबी एवं बिना साक्ष्य के ही एकपक्षीय रूप से आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अवसर नहीं दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति कर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट पक्षकार की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। सहवन से खसरा संख्या 551 में रखे निर्माण कार्य को अपीलांट के खसरा 552 की भूमि मानकर रिपोर्ट तैयार कर मातहत अदालत मे पेश की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील आंशिक स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व आवेदन संख्या 19/2019 बउनवान सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को जवाबदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते हुए अपीलाधीन आराजी के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब कर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.05.2025 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

21/4/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/4/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर